झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

सत्र 2019-21 के इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए नियमित एवं स्वतंत्र छात्र/छात्राओं के पंजीयन हेतु आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 74/2019

एतद् द्वारा सत्र 2019-21 के इंटरमीडिएट कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में पंजीकृत होने वाले **सभी नियमित एवं स्वतंत्र** छात्र/छात्राओं, अंगीभूत महाविद्यालय, सम्बद्ध डिग्री महाविद्यालय, प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालय, राजकीय/राजकीयकृत +2 विद्यालयों, मॉडल विद्यालय, कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं 2019-21 सत्र के लिए स्थापना अनुज्ञा (अनुमति) प्राप्त इंटर महाविद्यालयों के प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि ग्यारहवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा 2020 हेतु परीक्षा प्रपत्र तथा वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के लिए पंजीयन आवेदन प्रपत्र को निम्न वर्णित शर्त्तों के अनुरूप लिया जाएगा।

(i)कक्षा-11 की परीक्षा ओ.एम.आर.सीट पर ली जाएगी।

(ii)ऑनलाइन पंजीयन प्रपत्र एवं बैंक में शुल्क संबंधी चालान जमा करने की तिथि का निर्धारण निम्नवत् है:-

शुल्क विवरणी	ऑनलाइन प्रपत्र भरने एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास Online submit करने की तिथि	जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र approve करने की तिथि	चालान जेनरेट करने की अंतिम तिथि	चालान के माध्यम से बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि
विलम्ब शुल्क रहित	02.12.2019 से 21.12.2019 तक	02.12.2019 से 23.12.2019 तक	26.12.2019	30.12.2019
विलम्ब शुल्क सहित	23.12.2019 से 03.01.2020 तक	27.12.2019 से 04.01.2020 तक	06.01.2020	08.01.2020

नोट:- दिनांक 26.12.2019 के बाद जेनरेट होनेवाले सभी चालान विलम्ब शुल्क के साथ जेनरेट होंगे।

उक्त अंतिम तिथि के पश्चात् फॉर्म भरने से संबंधित कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी।

ऑनलाइन पंजीयन परिषद् के वेबसाइट **www.jac.jharkhand.gov.in** के माध्यम से विद्यालय द्वारा किया जाएगा। पंजीयन एवं परीक्षा प्रपत्र भरने की प्रक्रिया वेबसाइट पर उपलब्ध होगा, जिसके अनुरूप +2 विद्यालय/महाविद्यालय प्रधान आवेदन प्रपत्र भरेंगे।

- जिला शिक्षा पदाधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त विद्यालय पंजीयन शुल्क जमा करने के लिए Generate Challan Tab के माध्यम से चालान निकालेंगे एवं शुल्क Allahabad Bank के किसी शाखा में जाकर जमा करेंगे।
- शुल्क जमा करने के दो दिनों के पश्चात् छात्र/छात्राओं की समेकित विवरणी Print Consolidated Statement निकाला जाएगा एवं उसकी एक प्रति चालान रसीद, **छात्र/छात्रा एवं उनके माता-पिता/अभिभावक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित चेकलिस्ट,** जाति प्रमाण पत्र, शपथ पत्र (विद्यालय प्रधान द्वारा अभिप्रमाणित), आव्रजन प्रमाण पत्र के साथ परिषद् कार्यालय में अन्तिम तिथि के 15 दिनों के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा। **परिषद् द्वारा सिर्फ उन्हीं छात्र-छात्राओं का प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा, जिनका नाम Consolidated list में होगा।**
- **वे छात्र, जो वर्ष 2019 की ग्यारहवीं की परीक्षा में 'Marginal' (अनुत्तीर्ण) हुए हैं, उनका आवेदन प्रपत्र भी ऑनलाइन इसी पोर्टल के माध्यम से निर्धारित अवधि में भरा जाएगा। Marginal छात्रों का फार्म भरते समय यह ध्यान रखना आवश्यक होगा कि उनका पुनः पंजीयन फॉर्म नहीं भरा जाय।**
- **आवेदन प्रपत्र जमा करने के पश्चात् निकाले गये चेकलिस्ट पर छात्र-छात्रा एवं उनके माता-पिता/अभिभावक एवं प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। इसके पश्चात् यदि डाटा में कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो इसकी पूर्ण जिम्मेवारी विद्यालय प्रधान की होगी।**
- **ऐसा देखा जाता है कि कुछ छात्र-छात्राओं के फोटो एवं हस्ताक्षर दूसरे छात्र-छात्रा के प्रपत्र में स्कैन कर डाल दिया जाता है, जो आवेदन प्रपत्र भरने में लापरवाही का द्योतक है। इसके बाद इसमें संशोधन हेतु अनावश्यक छात्र-छात्रा एवं परिषद् को परेशानी होती है। +2 विद्यालय/महाविद्यालय प्रधान को निदेश दिया जाता है कि सभी छात्र-छात्राओं की विवरणी शुद्ध-शुद्ध ऑनलाइन पोर्टल में भरें।**
- **सभी +2 विद्यालय/महाविद्यालय का अपना ई-मेल आई.डी. होना अनिवार्य होगा। पोर्टल पर विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-मेल आई.डी. के माध्यम से ही भविष्य में परिषद् द्वारा संवाद स्थापित किया जाएगा। +2 विद्यालय/महाविद्यालय से अलग ई-मेल आई.डी. देने या उसका पासवर्ड किसी अनाधिकृत व्यक्ति को हस्तगत कराने के उपरान्त किसी प्रकार की गोपनीयता भंग होती है तो उसकी सारी जिम्मेवारी उनकी होगी।**
- **वैसे विद्यालय, जिन्हें Login I.D. एवं Password प्राप्त नहीं है या वे प्रथम बार पंजीयन की कार्रवाई कर रहे हैं, Login I.D. एवं Password के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से परिषद् कार्यालय में अनुरोध करेंगे।**

शुल्क की राशि

1. पंजीयन आवेदन प्रपत्र शुल्क – ₹90/- प्रति छात्र/छात्रा	2. पंजीयन शुल्क – ₹200/- प्रति छात्र/छात्रा
3. पंजीयन विलम्ब शुल्क – ₹300/- प्रति छात्र/छात्रा	
4. अनुमति शुल्क – ₹500/- प्रति छात्र/छात्रा (केवल स्थापना अनुज्ञा प्राप्त इंटर महाविद्यालयों के लिए)	
5. अनुमति विलम्ब शुल्क – ₹300/- प्रति छात्र/छात्रा (केवल स्थापना अनुज्ञा प्राप्त इंटर महाविद्यालयों के लिए)	
6. आव्रजन शुल्क – ₹150/- प्रति छात्र/छात्रा	7. आव्रजन विलम्ब शुल्क – ₹250/- प्रति छात्र/छात्रा
8. वर्ग 11 की परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क – ₹120/- प्रति छात्र/छात्रा	

उपर्युक्त कोटि के सभी +2 विद्यालय/महाविद्यालयों की नियमित छात्राओं के सूचीकरण शुल्क ₹200/- भुगतेय नहीं होगा, अन्य सभी शुल्क देय होंगे।

स्वतंत्र छात्र/छात्राओं के पंजीयन हेतु आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा सभी अंगीभूत/डिग्री संबद्ध/इंटर प्रस्वीकृत महाविद्यालय/+2 विद्यालय से केवल स्वतंत्र रूप से परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र/छात्राओं एवं संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2021 की इंटरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होने वाले स्वतंत्र छात्र/छात्राओं का पंजीयन ऑनलाइन कराने का निर्णय लिया गया है जो नियमित छात्र/छात्राओं के साथ किया जाना है।

नोट:- वर्ष 2021 की इन्टर परीक्षा में निम्नांकित छात्र/छात्राएँ या शिक्षक ही स्वतंत्र छात्र के रूप में बैठ सकते है:-

(1) वैसे शिक्षक जो प्रस्वीकृत संस्था में कार्यरत हैं तथा वर्ष 2019 या उसके पूर्व माध्यमिक परीक्षा उत्त्तीर्ण हैं। ऐसे शिक्षक को संस्था प्रधान द्वारा शिक्षक होने का प्रमाण पत्र जो जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, आवेदन के साथ जमा करना होगा।

(2) महिला एवं दिव्याँग छात्र, जो वर्ष 2019 एवं उसके पूर्व वार्षिक माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण हैं। ऐसे महिला एवं दिव्याँग छात्र को इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा कि वे विहित पाठ्यक्रम का अध्ययन अमुक व्यक्ति के निर्देशन में किया है और अमुक कारणों से वे इन्टर के नियमित रूप से प्रस्वीकृत संस्था में अध्ययन नहीं कर सके हैं।

(3) पुरूष छात्र भी पंजीयन करा सकते हैं, वे वर्ष 2019 या उसके पूर्व माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। ऐसे छात्र जिन कारणों से वे प्रस्वीकृत संस्था में अध्ययन नहीं कर सके हैं, उससे सम्बन्धित स्व-हस्ताक्षरित घोषणा पत्र संलग्न करेंगे। स्वतंत्र रूप से कोई भी छात्र प्रायोगिक विषय के साथ विज्ञान संकाय में परीक्षा में नहीं बैठ सकता है। परीक्षा में भूगोल विषय रखने के लिये उसे प्रस्वीकृत संस्था के प्राचार्य का इस आशय का प्रमाण पत्र जमा करना होगा कि उसने संस्था से 6 माह का नियमित प्रायोगिक कोर्स/कार्य पूरा किया है। परन्तु गृह विज्ञान/संगीत के प्रायोगिक परीक्षा के लिये उक्त प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

उपर्युक्त कोटि के परीक्षार्थियों का पंजीयन आवेदन पत्र के साथ उल्लेखित वर्ष या उसके पूर्व माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति भी संलग्न करनी होगी।

JAC/4188/17-SECY/516/19
Dt. 30.11.2019
D.O.P : 01.12.2019

अध्यक्ष के आदेश से,
ह./- सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।